रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 297] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 1972/ज्येष्ठ 26, 1894

No. 297] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 1972/JYAISTHA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th June 1972

S.O. 431(E)/18A/IDRA/72.— Whereas the Central Government is of the opinion hat the Spinning unit of M/s. associated Industries (Assam) Ltd., Chandrapur, n industrial undertaking in respect of which an investigation has been made nder Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 f 1951), is be managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 18A of the said ct, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation td., (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the manage- ient of the whole of the said undertaking, namely the Spinning unit of M/s. ssociated Industries (Assam) Ltd., Chandrapur subject to the following terms nd conditions, namely:—

(1) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the dat of publication in the official gazette of this notified Order;

(iii) The Central Government may terminate the appointment of t Authorised Controller earlier, if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing fro the date of its publication in the official Gazette.

[No. 422/72/CUC

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 1972

का० आ०/18 क/आई० डी० आर० ए०/72:—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि मैसर्स एसोसियेटेड इंडस्ट्रीज (आसाम) लि०, चन्द्रपुर के स्पिनिंग यूनिट का, जो एक ऐस औद्योगिक उपक्रम है जिसके सम्बन्ध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की गई है। प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित के लिए बहुत अहितकर है ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि० को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त सम्पूर्ण उपक्रम अर्थात् मैसर्स एसोसियेटेड इंडस्ट्रीज (आसाम) लि०, चन्द्रपुर के स्पिनिंग यूनिट का प्रबन्ध निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सभी निदेशों का अनुपालन करेगा;

(2) प्राधिकृत नियन्त्रक इस अधिसूचित आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिए कार्य भार सम्भालेगा ;

(3) यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे तो वह प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को इससे पूर्व रद्द कर सकेगी।

2. यह आदेश शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली 5 वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावी होगा ;

[सं० 422/72 सी यू सी]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972